न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 110/2016

1. टहलसिंह
2. जरनेलसिंह } पिसरान प्रीतमसिंह माता महेन्द्रो जाति बावरी
3. सुखदेवसिंह } निवासी खैरूवाला हाल आबाद 2 के जी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ

4 प्यारो पुत्री महेन्द्रो पत्नी तारसिंह जाति बावरी निवासी 23 पीटीपी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

——अपीलांट्स

बनाम

1. हीरासिंह पुत्र वीरसिंह जाति बावरी निवासी हाथियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. तोती उर्फ तेजो पुत्री वीरसिंह पत्नी कर्मसिंह जाति बावरी निवासी हाथियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर ।
3. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार सादुलशहर ।
4. कृष्णा पुत्री प्रीतमसिंह माता महेन्द्रो पत्नी हरदयालसिंह –मृतक

   4/1 हरदयालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति बावरी निवासी रामपुर थेड़ी तहसील राणिया जिला सिरसा।

   4/2 गुरवन्ती पुत्री हरदयालसिंह जाति बावरी निवासी रामपुर थेड़ी तहसील राणिया जिला सिरसा।

   4/3 बलदीपसिंह पुत्र हरदयालसिंह जाति बावरी निवासी रामपुर थेड़ी तहसील राणिया जिला सिरसा।

   4/4सुरजीतकौर पुत्री हरदयालसिंह जाति बावरी नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता हरदयालसिंह निवासी रामपुर थेड़ी तहसील राणिया जिला सिरसा।
5. तारो पुत्री प्रीतमयिंह माता महेन्द्रो पत्नी छिन्दासिंह –मृतक

16/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

5/1 छिन्दासिंह पुत्र भजनसिंह जाति बावरी निवासी वार्ड नं.1 डबली बास मोड़की तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5/2 मंगतसिंह पुत्र छिन्दासिंह माता तारो जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 1 डबलीबास मोड़की तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5/3 लछमण पुत्र छिन्दा सिंह माता तारो जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 1 डबलीबास मोड़की तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा. का. अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

दिनांक 29.09.2014

उपस्थितिः—

श्री राजकुमार नागपाल, अभिभाषक अपीलांट

श्री इकबालसिंह सिद्धु अभिभाषक रेस्पो. 1 व 2

श्री रविकान्त बवेजा अभिभाषक रेस्पो. 4, 5

निर्णय दिनांक :— 16.10.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/ रेस्पो.1 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88 का पेश कर चक 23 पी टी पी के खाता संख्या 14/15 में कानो महेन्द्रो तोती उर्फ तेजो का नाम तर्क किया जाकर उक्त 16 बीघा भूमि का वादी खातेदार घोषित करने का निवेदन किया। वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । दिनांक 05.09.2013 को तोती व हीरासिंह ने राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया गया एवं दिनांक 29.09.2014 को वादी का वाद स्वीकार कर वादी को उक्त विवादित भूमि का खातेदार घोषित करने के आदेश दिये गये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

16/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पुनर्वास विभाग द्वारा सर्वप्रथम कानो बेवा वीरसिंह को बतौर नानकलेमेंट आवंटित हुई थी । जिसकी किश्तों की राशि भी कानो द्वारा जमा करवाई गई थी । जिला पुनर्वास अधिकारी द्वारा सनद कानो, तोती, महेन्द्रो के नाम से जारी की है सनद के विरूद्ध रेस्पो. ने निगरानी जिला कलेक्टर के समक्ष पेश की जो खारिज कर दी जिसके विरूद्ध पैटीशन सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के पेश करने पर प्रकरण रिमांड किया गया । सम्भागीय आयुक्त के आदेश दिनांक 09.03.2004 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका पेश कर रखी है जो विचाराधीन है एवं उसमें स्थगन आदेश जारी है। स्थगन आदेश रहते हुए रेस्पो. ने अधी. न्यायालय में अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये वाद पेश कर दिया एवं मिली भगत से डिक्री जारी करवा ली ।जबकि अपीलार्थीगण का विवादित भूमि में हक व हिस्सा बनता हैं अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने बिना पक्षकार बनाये पारित किया है । अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधि.न्यायालय की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जो स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 2017 डीएजे (रेवेन्यू) 129, आर आ डी 2011 पेज 508, 1990 आर आर डी पेज 644, 384, 594 की नजीरे पेश की है।

विद्वान अभिभाष रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि सनद के विरूद्ध जिला कलेक्टर के समक्ष निगरानी पेश की जो खारिज होने पर रेस्पो. ने सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष पैटीशन पेश की जो स्वीकार हुई है। तत्पश्चात रेस्पो. ने अधी.न्यायालय में वाद पेश किया। अधी.न्यायालय ने

16/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सम्भागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण का वाद स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पोडेन्ट ने खण्डन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलाट ने अपील आदेश दिनांक 29.09.2014 के विरूद्ध अपील दिनांक 12.08.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश करके नहीं किया है ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 29.09.2014 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें वादी/रेस्पो. हीरासिंह के नाम चक 23 पी टी पी के प.न. 94/138 मु.न. 8 के कि.न. 2, 6 ता 0 व 12 ता 19,23 ता 25 कुल 16 बीघा मु. कानो बेवा वीरसिंह, तोती, महिन्द्रा पुत्रियां वीरसिंह का नाम हटाकर रेस्पो. के नाम दर्ज करने की डिक्री पारित की एवं डिक्री का आधार रेकार्डड खातेदार तोती द्वारा अपने हक हकूकों का रेस्पो.(वादी के पक्ष में हक तर्क Release) करना तथा प्रतिवादी तोती द्वारा राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री होना है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर जो दस्तावेजी साक्ष्य परिक्षित हुए उनमें ग्राम 23 पी टी पी पटवार हल्का खैरूवाला की सम्वत् 2066 से 2069 की जमाबंदी प्रदर्श ईएक्स 1 है जिसके खाता सं. 14 पुराना व खाता संख्या 15 नया में रेकार्डेड खातेदार कानो बेवा वीरसिंह, तोती, महेन्द्रा पुत्रिया वीरसिंह कौम बावरी दर्ज राज रेकार्ड है परन्तु अधी.न्यायालय में दर्ज वाद संख्या 139/2013 जिसके निर्णय दिनांक 29.09.2014 की अपील हुई

16/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

है मे महेन्द्रा या उनके वारिसान को पक्षकार न बनाना सीपीसी के आदेश 1 नियम 9 Non Joinder का विधिक नुक्स प्रमाणित है जिसके अधी.न्यायालय में दस्तावेजी प्रदर्श ईएक्स 1 परिक्षित हुआ हैं अधी.न्यायालय का विधिक दायित्व बनता था कि सीपीसी के नियम 1 आदेश 10 (2) की पालना "Court may Strike out or add parties" जो अधी. न्यायालय की विधिक त्रुटि ही नहीं दावे में necessity party के अभाव में सिर्फ तोती को पक्षकार बनाकर उसका व वादी के राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री करना वादी एवं प्रतिवादी के Nexus में अधी.न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का शामिल होना भी प्रतीत होता है जो बहुत बड़ा न्यायिक दोष है । दावे के डिक्री के आधारों में दूसरा बड़ा आधार रेकार्डेड खातेदार तोती द्वारा रेस्पो. हीरासिंह के पक्ष में अपना हिस्सा हक तर्क माना है हक तर्क के सम्बन्ध में विधिक प्रावधान " The Rajasthan stamp Law (Adaption Act 1952) " की द्वितीय अनुसूचि के आर्टिक 55 के अनुसार::– हक त्याग (रिलीज)(आर्टिकल 55) :– हक त्याग के तहत, एक व्यक्ति द्वारा अपने हक का त्याग दूसरे व्यक्ति के पक्ष में या सम्पति विशेष के विपरीत किया जाता है। हक त्याग उसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है जिनका हक पूर्व स्थापित हो अर्थात एक व्यक्ति अपना हक, सह हिस्सेदार, सह–हकदार या को–पासनर के पक्ष में ही त्याग कर सकता है। हक त्याग के आवश्यक तत्व:–

(क) एक व्यक्ति द्वारा अपने दावे का त्याग किया गया हो ।

(ख) जिस व्यक्ति के पक्ष में त्याग किया गया है वह सह–हकदार हो या सह हिस्सेदार या को–पासनर हो ।

(ग) हक त्याग से अन्य हक या दावे की अभिवृद्धि हुई हो या वह पूर्ण हुआ हो।

हक त्याग पर मुंद्राक कर आर्टिकल 55 के तहत देय होता है। राजस्थान वित्त अधिनियम 1999 के द्वारा मुद्रांक कर की दर के अनुसार हक त्याग को दो श्रेणी में रखा गया है:–

16/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(i) पैतृक सम्पति या उसके भाग का नियुक्ति विलेख भाई या बहिन (त्यागने वाले के माता–पिता के बच्चे) या पुत्र या पुत्री या पूर्व मृत पुत्र का पुत्र या पूर्व मृत पुत्र की पुत्री या त्यागने वाले के माता पिता या पति या पत्नी या उपर्युक्त संबंधियों के विधिक वारिसों के द्वारा या पक्ष में निष्पादित किया गया हो– पर मुद्रांक कर 100/–रूपये देय होगा।

(ii) अन्य प्रकार के हक त्याग पत्र पर मुद्रांक कर छोड़े गये हक, हिस्से एवं भाग की मार्केट वैल्यू पर 10 प्रतिशत की दर से देय होगा ।

प्रकरण हाजा में तोती किसी भी रूप में हीरासिंह के पक्ष में हक तर्क करने में कानूनी रूप से सक्षम नहीं थी क्योंकि हीरासिंह न तो सह हकदार है न ही सह खातेदार न ही Co -parcener तथा हक तर्क दस्तावेज पंजीयन अधिनियम में अनिवार्य पंजीयन योग्य है जो पंजीयन न होने पर साक्ष्य में ग्राहय नहीं हो सकता । अतः गलत आधारों से दावा डिक्री हुआ है ।

अतः अधी.न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों का violation किया जाकर किया है के अतिरिक्त अपील मीमों के बिन्दु सं. 7 में रेस्पों. हीरासिंह कालो का लडका ही नहीं है जाहिर किया है। जिसका भी specific denial पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है की विधिक Remedy Indian Sucession Act 1925 की धारा 372 में उपलब्ध है का विकल्प open है। जहां चाराजोही की जा सकती है।

उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पों. हीरासिंह ने सनद में अपना नाम भूलवश शामिल होने से रह गया है दर्शाया है जबकि उसके द्वारा इस सनद की अपील डी.पी.एक्ट की धारा 33 के तहत निगरानी जिला कलक्टर के समक्ष पेश की जो खारिज की गई थी तथा अपीलांट द्वारा जाहिर किया कि प्रकरण S.B. Civil रिट पिटिशन नं. 5456/2014 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में लम्बित है।

16/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रेस्पों. अभिभाषक द्वारा अधी. न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित माना जाकर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अध्ययन करने, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन, उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि अधी. न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 1 नियम 9 व नियम 10(2) के विधिक प्रावधानों को Ignore कर डिक्री जारी की है जो बहुत बडी विधिक त्रुटि है तथा राजीनामे का आधार मानकर दावा डिक्री करना जिसमें रिकार्डेड खातेदार एवं उसके वारिसान को सुने बगैर दावा डिक्री करना विधिक भूल है तथा हक तर्क के कानूनी प्रावधानों को Ignore कर दावा डिक्री करना भी विधिसम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.09.2014 अपास्त किया जाता है तथा अपीलांट टहलसिंह, जरनैल सिंह, सुखदेवसिंह एवं प्यारो व रेस्पों. तोती को विवादित आराजी चक 23 पी.टी.पी. के प.नं. 94/138 मु.नं. 8 के कि.नं. 2, 6 से 9, 12 से 19, 23 से 25 कुल 16 बीघा भूमि में 8 बीघा अपीलांट के नाम से तथा रेस्पों. सं. 2 द्वारा किये गये हक तर्क को विधिमान्य न होना declare किया जाकर 8 बीघा भूमि पुनः रेस्पों. सं. 2 तोती या उसकी विरासत होने पर वारिसान के नाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा रेस्पों. हरीसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात से विलोपित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार को प्रेषित किया जाता है कि इस आदेश की पालना में नामान्तरण खोलकर, निस्तारित कर पालना इस न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 16.102017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

16/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. टहलसिंह
2. जरनेलसिंह
3. सुखदेवसिंह

पिसरान प्रीतमसिंह माता महेन्द्रो जाति बावरी निवासी खैरूवाला हाल आबाद 2 के जी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।

4. प्यारो पुत्री महेन्द्रो पत्नी तारासिंह जाति बावरी निवासी 23 पीटीपी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट्स

बनाम

1. हीरासिंह पुत्र वीरसिंह जाति बावरी निवासी हाथियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. तोती उर्फ तेजो पुत्री वीरसिंह पत्नी कर्मसिंह जाति बावरी निवासी हाथियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार सादुलशहर।
4. कृष्णा पुत्री प्रीतमसिंह माता महेन्द्रो पत्नी हरदयालसिंह– मृतक

4/1 हरदयालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति बावरी निवासी रामपुर थेडी तहसील राणिया जिला सिरसा।

4/2 गुरवन्ती पुत्री हरदयालसिंह जाति बावरी निवासी रामपुर थेडी तहसील राणिया जिला सिरसा।

4/3 बलदीपसिंह पुत्र हरदयालसिंह जाति बावरी निवासी रामपुर थेडी तहसील राणिया जिला सिरसा।

4/4 सुरजीतकौर पुत्री हरदयालसिंह जाति बावरी नाबालिग जरिये कुदरती वील पिता हरदयालसिंह निवासी रामपुर थेडी तहसील राणिया जिला सिरसा।

5. तारो पुत्री प्रीतमसिंह माता महेन्द्रो पत्नी छिन्दासिंह – मृतक

5/1 छिन्दासिंह पुत्र भजनसिंह जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 1 डबलीबास मोडकी तहसील व जिला हनुमानगढ।

5/2 मंगतसिंह पुत्र छिन्दासिंह माता तारो जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 1 डवलीबास मोडकी तहसील व जिला हनुमानगढ।

5/3 लछमण पुत्र छिन्दा सिंह माता तारो जाति बावरी निवासी वार्ड नं. 1 डबलीबास मोडकी तहसील व जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील संख्या 110/2016 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सादुलशहर मुर्ख्ख 29 माह 09 सन् 2014

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 16 माह 10 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री राजकुमार नागपाल अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री इकबाल सिंह सिद्धू अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 व 2 एवं श्री रविकान्त बवेजा अभिभाषक रेस्पों. 4, 5 समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.09.2014 अपास्त किया जाता है तथा अपीलांट टहलसिंह, जरनैल सिंह, सुखदेवसिंह एवं प्यारो व रेस्पों. तोती को विवादित आराजी चक 23 पी.टी.पी. के प.नं. 94/138 मु.नं. 8 के कि.नं. 2, 6 से 9, 12 से 19, 23 से 25 कुल 16 बीघा भूमि में 8 बीघा अपीलांट के नाम से तथा रेस्पों. सं. 2 द्वारा किये गये हक तर्क को विधिमान्य न होना declare किया जाकर 8 बीघा भूमि पुनः रेस्पों. सं. 2 तोती या उसकी विरासत होने पर वारिसान के नाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा रेस्पों. हीरासिंह का नाम राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात से विलोपित किये जाते हैं।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X .....) रूपये.. X अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 16.10.2017 जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर